इकाई 2 : अनुवाद : प्रकार एवं क्षेत्र

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 अनुवाद के प्रकार : विभिन्न विद्वानों के अभिमत

2.2.1 पाश्चात्य अनुवाद चिंतकों के विचार

2.2.2 भारतीय अनुवाद चिंतकों के विचार

2.3 अनुवाद के प्रकार : अवधारणा के संदर्भ में

2.3.1 अनुवाद के प्रकार : व्यापक संदर्भ के आधार पर

2.3.2 अनुवाद के प्रकार : सीमित संदर्भ के आधार पर

2.4 अनुवाद के प्रमुख प्रकार

2.4.1 शाब्दिक अनुवाद

2.4.2 भावानुवाद

2.4.3 छायानुवाद

2.4.4 रूपांतरण

2.4.5 अनुसृजन (Transcreation)

2.4.6 पुनर्सृजन (Rewriting)

2.4.7 नवलेखन (New Writing)

2.4.8 टीकानुवाद

2.4.9 सारानुवाद

2.4.10 आशु अनुवाद

2.4.11 पुनःअनुवाद

2.4.12 लिप्यंकन

2.4.13 लिप्यंतरण

2.5 अनुवाद के विविध क्षेत्र

2.5.1 प्रशासनिक साहित्य और अनुवाद

2.5.2 बैंकिंग और अनुवाद

2.5.3 विधि साहित्य और अनुवाद

2.5.4 मीडिया और अनुवाद

2.5.5 सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद

2.5.6 तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद

2.5.7 पर्यटन और अनुवाद

2.5.8 शिक्षा और अनुवाद

2.6 सारांश

2.7 अभ्यास के लिए प्रश्न

2.8 उपयोगी पुस्तकें

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

2.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- विभिन्न अनुवादक चिंतकों द्वारा बताए गए अनुवाद के विभिन्न प्रकारों को जान पाएँगे;
- विभिन्न चिंतकों द्वारा बताए गए अनुवाद के विभिन्न प्रकारों में से कुछ प्रकारों के विषय में विस्तार से जान पाएँगे;
- पाठ की विभिन्न प्रकृतियों के अनुसार अनुवाद के विभिन्न प्रकारों को समझ पाएँगे;
- यह जान पाएँगे कि उन विविध प्रकारों को अनुवाद कर्म के दौरान किन–किन संदर्भों में व्यवहार में लाया जाता है; और
- अनुवाद व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

अनुवाद कर्म सदियों से चलता आ रहा है। यूँ कहें कि अनुवाद की एक लंबी परंपरा रही है। भारतीय संदर्भ में देखें तो भक्तिकाल में विशेष रूप से बड़ी मात्रा में अनुवाद हुए हैं। वर्तमान संदर्भ में अनुवाद से तात्पर्य 'ट्रांसलेशन प्रॉपर' से हो जाता है किंतु भारतीय साहित्य में अनुवाद के विभिन्न रूप प्रारंभ से देखे जा सकते हैं। समय–समय पर अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। ये अनुभव उन्होंने सामान्यतः पाठों के अनुवाद के दौरान स्वयं अर्जित किए हैं। इसी आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की बात कही गई है। प्रस्तुत इकाई में हम अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए इन चिंतकों द्वारा सुझाए गए अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की जा रही है। इकाई में, अनुवाद के उन प्रकारों की विस्तार से और सोदाहरण चर्चा की जाएगी जिन्हें आम तौर कोई भी अनुवादक व्यवहार में लाता है। साथ ही आपको यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि अनुवाद के इन विभिन्न प्रकारों की किन–किन क्षेत्रों और स्थितियों में आवश्यकता पड़ती है। आइए, पहले हम देश–विदेश के विभिन्न अनुवाद चिंतकों के द्वारा बताए गए अनुवाद के विविध प्रकारों का परिचय प्राप्त करें।

2.2 अनुवाद के प्रकार : विभिन्न विद्वानों के अभिमत

देश–विदेश के विभिन्न अनुवाद–चिंतकों ने अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के अपने–अपने मत प्रकट किए हैं। उन सभी के मतों को यहाँ विस्तार से प्रस्तुत करना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक। इसलिए इस इकाई में हम कुछ प्रमुख अनुवाद चिंतकों के मतों पर संक्षेप में विचार कर रहे हैं। ये प्रमुख विद्वान हैं – यूजीन ए नायडा, रोमन जेकब्सन, पीटर न्यूमार्क, जे.सी. कैटफर्ड, विनय तथा डर्बलनेट; और आंद्रे लेफेवेयर। इनके अलावा, भारतीय अनुवाद चिंतकों में डॉ. भोलानाथ तिवारी और डॉ. नगेंद्र के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, जिनके मतों के आलोक में अनुवाद के विविध प्रकारों के बारे में यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। आइए, अनुवाद के प्रकारों के संदर्भ में इन विद्वानों के मतों को संक्षेप में जानें।

2.2.1 पाश्चात्य अनुवाद चिंतकों के विचार

पाश्चात्य अनुवाद यूजीन ए.नायडा ने अनुवाद के तीन प्रकार बताए हैं। ये हैं – (1) शाब्दिक अनुवाद, (2) भावानुवाद; और (3) पर्याय के आधार पर अनुवाद।

प्रसिद्ध भाषाविद रोमन जेकब्सन ने अनुवाद को व्यापक और सीमित संदर्भ में देखा तथा उसके आधार पर अनुवाद तीन प्रकार हैं। ये हैं – (1) अंतःभाषिक अनुवाद; (2) अंतर्भाषिक अनुवाद; और (3) अंतर्प्रतीकात्मक अनुवाद

पीटर न्यूमार्क अपनी पुस्तक 'Textbook of Translation' में अनुवाद के विभिन्न प्रकार बताते हैं। ये हैं – (1) शब्द–प्रति–शब्द अनुवाद (2) शाब्दिक अनुवाद (3) सीमेंटिक अर्थात शब्दार्थगत अनुवाद (4) अनुकरण (5) मुक्त अनुवाद (6) रूपांतरण (7) संप्रेषणीय अनुवाद (8) मुहावरागत अनुवाद (9) सूचनापरक अनुवाद (10) शैलीगत अनुवाद; और (11) विश्लेषणपरक अनुवाद।

वहीं, जे.सी. केटफर्ड ने अपनी पुस्तक 'A Linguistic Theroy of Translation' में अनुवाद के दो प्रकार बतलाते हैं – (1) पूर्ण अथवा आंशिक अनुवाद; और (2) पूर्ण अथवा सीमित अनुवाद।

विनय तथा डर्बलनेट ने पाठ की जटिलता के आधार पर अनुवाद के जिन सात प्रकारों का उल्लेख किया है, वे हैं –

(1) शब्द–प्रति–शब्द अनुवाद

(2) बॉरोइंग अर्थात मूल भाषा से शब्द लेना उधार : अनुवाद के इस प्रकार में अनुवादक मूल भाषा के शब्द को लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों ले लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लक्ष्य भाषा में मूल भाषा के शब्द को कोई उचित समतुल्य उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त, यह अनुवादक की स्वतंत्रता का भी सवाल है। यदि अनुवादक को लक्ष्य भाषा में मिले समतुल्य से संतुष्टि नहीं होती अथवा उसे लगता है कि इससे मूल पाठ का कथ्य पूरी तरह संप्रेषित नहीं हो पा रहा तो वे मूल भाषा के शब्द को ज्यों का त्यों ले लेते हैं तथा मूल शब्द को लक्ष्य पाठ में प्रयुक्त करते समय उसे तिरछा यानी इटेलिक में लिखते हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक ने भी महाश्वेता देवी के साहित्य के अनुवाद में इस तकनीक का प्रयोग किया है तथा मूल भाषा के शब्द को लक्ष्य पाठ में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हुए उसे इटेलिक में लिखने का समर्थन किया है। इससे मूल पाठ के शब्द के साथ उसकी सांस्कृतिक तत्व की भी रक्षा की जाती है जिसे गायत्री स्पीवाक ने विस्तार से समझाया है।

(3) काल्क अथवा लोन अनुवाद – काल्क अथवा लोन अनुवाद से तात्पर्य ऐसे अनुवाद से है जिसमें अनुवादक एक भाषा के पाठ जैसे – मुहावरे, पदबंध आदि को ठीक उसी तरह दूसरी भाषा में ले जाते हैं। इसीलिए इसे 'लोन अनुवाद' भी कहा जाता है। काल्क स्वयं एक लोन शब्द है जिसे फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है – कॉपी अथवा अनुकरण। फ्रेंच पदबंध 'avante garde' का प्रयोग लगभग प्रत्येक भाषा में इसी तरह होता है। हिंदी में इसे 'अवांगार्द' लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है – 'नवोन्मेषी', 'प्रवर्तक'। यह काल्क अथवा लोन अनुवाद का एक अन्यतम उदाहरण है।

(4) ट्रांसपोज़िशन

(5) मॉड्यूलेशन

(6) समतुल्यता

(7) रूपांतरण

विनय तथा डर्बलनेट द्वारा बताई गई अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों को मुख्यतः दो वर्गों में बाँटकर देखा जा सकता है – काल्क अनुवाद तथा ओबलिक अनुवाद। काल्क अनुवाद जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। इसे स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो शाब्दिक अनुवाद, मेटाफ्रेज़ अथवा लिटरल ट्रांसलेशन भी कहा जा सकता है। इसमें अनुवादक मूल भाषा के प्रति अधिक ईमानदार होते हैं तथा पाठ के अनुवाद में मूल भाषा केंद्र में होती है।

यहाँ अनुवादक के पास छूट की अधिक गुंजाइश नहीं होती। इस तरह के अनुवादों को अभिधात्मक अनुवाद भी कहा जा सकता है। अनुवाद की यह तकनीक ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद में अधिक कारगर होती है।

अनुवाद तकनीक का दूसरा वर्ग है – 'ओबलिक अनुवाद' जिसे 'पैराफ्रेज़' अथवा 'मुक्त अनुवाद' अथवा 'भावानुवाद' भी कहा जा सकता है। विनय तथा डर्बलनेट द्वारा बताई गई अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों में से 'ट्रांसपोज़िशन', 'मॉड्यूलेशन', 'समतुल्यता' तथा 'रूपांतरण' इसी तरह के अनुवाद के प्रकार हैं, जहाँ अनुवादक पाठ के अनुवाद को और बेहतर तथा अधिक संप्रेषणीय बनाने के लिए अधिक छूट लेते हैं। 'मॉड्यूलेशन' में अनुवादक मूल भाषा के पाठ का शाब्दिक अनुवाद न करके उसका भावानुवाद करते हैं। मुहावरे–लोकोक्ति, कविता आदि के अनुवाद संबंधी उदाहरणों के माध्यम से इसे बेहतर समझा जा सकता है। मॉड्यूलेशन तथा ट्रांसपोजिशन की प्रविधि से किया गया अनुवाद शाब्दिक दृष्टि से तो मूल से अलग होता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से मूल पाठ के भाव के अनुरूप होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा की दृष्टि से तो वह सटीक अनुवाद नहीं होता लेकिन, अर्थ की दृष्टि से बेहद सुगम होता है। ऐसे अनुवाद को 'मुक्त अनुवाद' भी कहा जा सकता है। 'समतुल्यता' में अनुवादक लक्ष्य भाषा मे मूल के समतुल्य शब्द तथा भाव की खोज करते हैं ताकि अनूदित पाठ अधिक विश्वसनीय प्रतीत हो। 'रूपांतरण' ओबलिक अनुवाद का सबसे अतिवादी रूप है, जहाँ अनुवादक के पास भाषा के साथ–साथ विधा के रूपांतरण की भी सुविधा होती है।

आंद्रे लेफेवेयर ने कविता के अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों का उल्लेख किया जा है, जो इस प्रकार हैं – (1) स्वनिमिक अथवा ध्वनिगत अनुवाद (2) शाब्दिक अनुवाद अथवा शब्दानुवाद (3) छंदबद्ध अनुवाद (4) पद्य का गद्य में अनुवाद (5) लयबद्ध अनुवाद; और (6) छंदमुक्त अनुवाद। इन्हें अनुवाद के प्रकार भी कहा जा सकता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, आंद्रे लेफेवेयर द्वारा सुझाए गए अनुवाद के ये प्रकार कविता के अनुवाद के संबंध में हैं।

कविता के अनुवाद को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग–अलग मत रहे हैं। अपने निबंध '*हाउ टू रीड ए पोएम* में एज़रा पाउंड कविता की भाषा के तीन मुख्य भेद बताते हैं – (क) मेटापोइया, अर्थात कविता का वह तत्व जो रूपक से संबंधित है, (ख) फोनापोइया अर्थात कविता का ध्वनि तत्व, तथा (ग) लोगोपोइया अर्थात कविता के भीतर का बुद्धि तत्व। एज़रा पाउंड के अनुसार यदि अनुवादक कविता के इस तीसरे तत्व को भी संरक्षित कर लेते हैं तो अनुवाद सार्थक हो जाता है।

इसी तरह आंद्रे लेफेवेयर भी कविता के अनुवाद के संदर्भ में ऊपरलिखित छह प्रविधियाँ गिनवाते हैं। उनका विचार है कि कविता का अनुवाद करते समय कविता का ध्वनिगत अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद, छंदबद्ध अनुवाद, लयबद्ध अनुवाद,पद्य से/पद्य में अथवा पद्य से गद्य में – किसी भी प्रकार से अनुवाद किया जा सकता है। वॉल्टर बेंजामिन के अनुसार अनुवाद किसी रचना को पुनर्जीवन देने का काम करता है। कविता के संदर्भ में यह और अधिक सटीक बैठता है, जहाँ अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों अथवा तकनीकों अथवा पद्धतियों के माध्यम से किसी रचना को एक नई अथवा अचीन्ही भाषा में पुनर्जीवित किया जाता है।

2.2.2 भारतीय अनुवाद चिंतकों के विचार

अनुवाद के प्रकारों के संबंध में भारतीय अनुवाद चिंतकों में मुख्य रूप से डॉ. भोलानाथ तिवारी और डॉ. नगेंद्र द्वारा किए गए वर्गीकरण का उल्लेख किया जा सकता है। डॉ. तिवारी ने अनुवाद के प्रकारों का उल्लेख जिन चार मुख्य आधारों पर किया है, वे हैं – (1) गद्यत्व–पद्यत्व, (2) साहित्यिक विधा, (3) विषय, और (2) अनुवाद की प्रकृति। वहीं, डॉ. नगेंद्र के अनुसार अनुवाद के प्रकार–भेदों के कई आधार हैं – (1) भाषिक क्षेत्र के अनुसार, (2) विषय के अनुसार, (3) विधा के अनुसार (4) पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार,

(2) उद्देश्य अथवा प्रयोजन के अनुसार।

देश–विदेश के इन विभिन्न अनुवाद चितंकों के विचारों को जानने के बाद, आइए अब हम अनुवाद की अवधारणा के आलोक में अनुवाद के प्रमुख प्रकारों पर विचार करें।

2.3 अनुवाद के प्रकार : अवधारणा के संदर्भ में

अनुवाद के स्वरूप पर बात करते हुए उसे मूलतः दो संदर्भों में देखा गया है – व्यापक; और सीमित। व्यापक संदर्भ में अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के रूप में देखा गया है। यानी अनुवाद मूलतः प्रतीकांतरण है। वहीं सीमित संदर्भ में अनुवाद को एक भाषिक क्रिया माना गया है जिसके अंतर्गत अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण यानी भाषांतरण है। आइए, इन दोनों संदर्भों में अनुवाद के प्रकारों को देखें।

2.3.1 अनुवाद के प्रकार : व्यापक संदर्भ के आधार पर

चूँकि अनुवाद को यहाँ प्रतीक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में रखने की बात कही गई है, इसलिए आइए पहले प्रतीक विज्ञान पर थोडी–सी चर्चा कर लें। प्रतीक विज्ञान की मूलभूत इकाई प्रतीक है। पीयर्स के मतानुसार प्रतीक वह वस्तु है जो किसी के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है। (*A Sign…. is something that stands to some body for something else in some respect or capacity.*) उदाहरण के लिए यदि हम 'मेज' पर विचार करते हैं तो 'मेज' शब्द स्वयं मेज न होकर मेज का प्रतीक मात्र है, जिसका चयन हमने उस वस्तु विशेष को पहचानने के लिए किया हुआ है। प्रतीक सिद्धांत के आधार पर रोमन जेकब्सन ने भाषिक पाठ के अंतरण को तीन आधारों पर देखने का प्रयास किया है। ये हैं :

- अंतःभाषिक अनुवाद (Intra lingual translation)
- अंतरभाषिक अनुवाद (Inter lingual translation)
- अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद (Inter semiotic translation)

(1) अंतःभाषिक अनुवाद से तात्पर्य है एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त पाठ को उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था में रखना अथवा प्रस्तुत करना। इसे 'अन्वयांतर' भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि यहाँ दोनों प्रतीक व्यवस्थाएँ एक ही भाषा से संबंधित होती हैं। संस्कृत में लिखी गई 'टीकाएँ' इसका उदाहरण हैं जहाँ जटिल संस्कृत में लिखे गए काव्य को सरल टीकाओं में व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार, आधुनिक युग में शेक्सपीयर, प्रेमचंद, रबींद्रनाथ ठाकुर, जैनेंद्र आदि की रचनाओं को उसी भाषा के विभिन्न पाठक अथवा श्रोता वर्ग के लिए पुनर्गठित करना। इस संदर्भ में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न भारतीय रचनाकारों की रचनाओं का सरल तथा संक्षिप्त रूपों को उदाहरणस्वरूप देखा जा सकता है।

(2) अंतरभाषिक अनुवाद : एक भाषा के प्रतीकों में व्यक्त पाठ को दूसरी भाषा के प्रतीकों में अंतरण को 'अंतरभाषिक अनुवाद' कहते हैं। इसे 'भाषांतर' भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि अंतःभाषिक अनुवाद से अलग, यह दो भाषाओं के बीच अंतरण की क्रिया है। इस अनुवाद प्रकार में अनुवाद के लिए दो भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसे ही अंग्रेजी में 'प्रॉपर ट्रांसलेशन' कहा जाता है। वर्तमान समय में अंतरभाषिक अनुवाद की विशेष माँग है। विश्व–भर में सर्जनात्मक तथा ज्ञानात्मक साहित्य के प्रसार का आधार यही है। चूँकि इसमें दोनों भाषाओं की सक्रिय भूमिका होती है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। पश्चिम में लंबे समय तक चला अनुवाद चिंतन मूलतः अंतरभाषिक अनुवाद चिंतन ही है जिसमें एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा में ले जाना अनुवाद कहलाता है। अंतरभाषिक अनुवाद की पूरी बहस शाब्दिक अनुवाद तथा भावानुवाद के अंतर को लेकर ही है। बाइबिल के अनुवाद के संबंध में विभिन्न अनुवादक तथा धर्म–प्रचारक इसी बिंदु पर संघर्ष करते रहे कि अनुवाद मूलतः शाब्दिक होना चाहिए या भावात्मक।

पश्चिमी अनुवाद परंपरा में अंतरभाषिक अनुवाद को ही अनुवाद कर्म कहा गया है। अंतरभाषिक अनुवाद अर्थात एक भाषा के पाठ का दूसरी भाषा में अनुवाद। बाइबिल के अनुवाद के संदर्भ में पश्चिम में अनुवाद की जो बहस शुरू हुई वह इसी अंतरभाषिक अनुवाद के इर्द–गिर्द ही बुना गया। आज अनुवाद को मूलतः अंतरभाषिक अनुवाद यानी 'अनुवाद के सीमित संदर्भ' में ही समझा जाता है जबकि अनुवाद के विविध प्रकारों के अध्ययन के माध्यम से आप यह जानेंगे कि रूपांतरण, नवसृजन, पुनःसृजन, छायानुवाद जैसे रूप भी अनुवाद के व्यापक परिप्रेक्ष्य में आते हैं। विभिन्न भाषाओं में हुए लिखित अनुवाद अंतरभाषिक अनुवाद के ही उदाहरण हैं, जिनके माध्यम से हमने विश्व के व्यापक साहित्य का अध्ययन–मनन किया है।

(3) अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद : जहाँ अंतःभाषिक और अंतरभाषिक अनुवाद में प्रतीक–2 का भाषिक इकाई होना अनिवार्य है वहीं अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक–2 यानी लक्ष्य पाठ भाषिक न होकर भाषेतर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें भाषिक पाठ का अनुवाद भाषेतर इकाई में होता है। उदाहरण के लिए किसी उपन्यास या कहानी का फिल्म, नाटक या धारावाहिक में अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद। अनुवाद चिंतन में इसे 'रूपांतरण' की संज्ञा दी गई है। 'रूपांतरण' अंग्रेजी शब्द 'Adaptation' का हिंदी पर्याय है। यहाँ अंतरण भाषिक न होकर रूपगत होता है। शरतचंद्र, प्रेमचंद, शेक्सपीयर, मन्नू भंडारी, रस्किन बॉण्ड आदि की रचनाओं का फिल्म में रूपांतरण इसके उदाहरण हैं। प्रसिद्ध कविता का गीत में और गीत या कविता आदि का विज्ञापन के जिंगल में रूपांतरण भी अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद के ही उदाहरण हैं।

2.3.2 अनुवाद के प्रकार : सीमित संदर्भ के आधार पर

अनुवाद का सीमित संदर्भ अनुवाद को केवल एक भाषिक क्रिया मानता है, जिसके अंतर्गत स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा में अंतरण किया जाता है। सीमित संदर्भ में अनुवाद के दो आयाम माने गए हैं (1) पाठधर्मी अनुवाद; और प्रभावधर्मी अनुवाद।

(क) पाठधर्मी अनुवाद से तात्पर्य है ऐसा अनुवाद जिसमें पाठ अर्थात स्रोत पाठ सर्वोपरि हो। ऐसे अनुवाद में अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल पाठ के प्रति ईमानदार हो और अनुवाद करते समय मूल की आत्मा को बचाए रखने का सतत् प्रयास करे। अनुवादक को यहाँ अनुवाद प्रक्रिया में छूट लेने की सुविधा नहीं होती। अनुवादक यहाँ मूल पाठ के कथ्य और शिल्प, दोनों के प्रति सचेत रहते हैं और उसे यथासंभव लक्ष्य भाषा में लाने का प्रयास करते हैं। कार्यालयी, विधि तथा किसी भी प्रकार के ज्ञानात्मक साहित्य के लिए पाठधर्मी अनुवाद ही बेहतर माध्यम है।

(ख) इसके विपरीत, **प्रभावधर्मी अनुवाद,** जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, पाठ के प्रभाव को केंद्र में रखकर चलता है। स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा के पाठक एवं समाज पर भी वैसा ही असर पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि उसे लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार बनाया जाएँ यह तभी संभव है जब अनुवादक अनुवाद करते समय उसमें यथासंभव छूट ले। इसके लिए अनुवादक को दोनों संस्कृतियों का ज्ञान एवं समझ होना अपरिहार्य है। साहित्य और विशेष तौर पर कविता के अनुवाद करते समय आम तौर पर प्रभावधर्मी अनुवाद ही किया जाता है।

2.4 अनुवाद के प्रमुख प्रकार

अब तक किए गए अध्ययन के आधार पर आपको यह स्पष्ट हो चुका है कि देश–विदेश के विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग प्रकारों से वर्गीकरण किया है। उनके द्वारा किए गए वर्गीकरण को आधार मानकर अनुवाद के कुछ प्रकार निश्चित किए जा सकते हैं। ये हैं :

2.4.1 शाब्दिक अनुवाद

जब हम अनुवाद के प्रकार के तौर पर 'शाब्दिक अनुवाद' की बात करते हैं तो हमें यह लगता है कि 'शब्द–प्रति–शब्द अनुवाद' कर देना। इसका तात्पर्य ऐसे अनुवाद से माना

जाता रहा है जिसमें अनुवाद की इकाई 'वाक्य' न होकर 'शब्द' होता है। इस तरह के अनुवाद के संदर्भ बाइबिल के प्रारंभिक अनुवादों में मिल सकते हैं। बाइबिल के अनुवाद को लेकर पश्चिम में हुई बहस में इस पक्ष के भी कुछ लोग थे, जो यह मानते थे कि बाइबिल जैसी धार्मिक एवं पवित्र पुस्तक का अनुवाद करने में किसी भी प्रकार की छूट नहीं ली जा सकती। शब्द–प्रति–शब्द का उदाहरण लेकर कहा जा जाए तो '*Sohan is a good* boy.' जैसे वाक्य का अनुवाद *'सोहन है एक अच्छा लडका।*

उपर्युक्त उदाहरण और उसके हिंदी अनुवाद को ध्यान देने पर आपको यह आभास हो गया होगा कि इस प्रकार का अनुवाद करते समय स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द के स्थान पर लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द को रख दिया गया है। ध्यान देने की बात यह भी है कि इसमें अनूदित पाठ को स्रोत भाषा की वाक्य संरचना के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। वास्तविकता यह है कि आज इस प्रकार के अनुवाद को अनुवाद नहीं माना जाता, उसे 'निकृष्ट अनुवाद' माना जाता है। इसलिए जब 'शाब्दिक अनुवाद' की बात की जाती है, तो वहाँ अनुवाद की इकाई 'शब्द' नहीं होती।

'शाब्दिक अनुवाद' में अनुवाद की इकाई वाक्य होती है। इस प्रकार का अनुवाद मूलतः अधिक मूलनिष्ठ होता है। इसमें यथासंभव मूल पाठ का अनुवाद कर दिया जाता है। अनुवाद करते समय अनुवादक मूल पाठ के प्रत्येक शब्द, उपवाक्य, वाक्य आदि का ध्यान रखा जाता है। इस अनुवाद में मूल के किसी भी शब्द की उपेक्षा नहीं की जाती, किंतु वाक्य संरचना लक्ष्य भाषा की होती है। शाब्दिक अनुवाद का प्रयोग विज्ञान, तकनीकी, विधि, कार्यालयी आदि साहित्य के लिए होता है, जहाँ सूचना का महत्व अधिक होता है।

सर्जनात्मक साहित्य में 'शाब्दिक अनुवाद' पूर्णतः सफल नहीं होता। इस प्रकार के पाठ के अनुवाद में अभिधा से अधिक लक्षणा तथा व्यंजना शब्द–शक्तियों का महत्व होता है। इसलिए वहाँ अनुवाद की इकाई वाक्य न होकर भाव होता है। शाब्दिक अनुवाद एकदम स्पष्ट तथा तक्रसंगत होता है। इस अनुवाद में अनेकार्थता की स्थिति नहीं होती। ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

2.4.2 भावानुवाद

जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि अनुवाद के इस प्रकार की इकाई 'भाव' है। अनुवादक यहाँ भाव को केंद्र में रखकर अनुवाद करते है। भाव का यह आधार वाक्य, पदबंध, अनुच्छेद अथवा पूरा पाठ कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के अनुवाद का प्रयोग साहित्यानुवाद के लिए होता है। अनुवादक यह प्रयास करते हैं कि साहित्यानुवाद करते समय वे मूल का सा आस्वाद अनुवाद में भी ला सकें। इसके लिए वे मूल से मिलते भावों को लक्ष्य भाषा तथा संस्कृति में खोजकर अनुवाद करने का प्रयास करते हैं।

अनुवाद की यह पद्धति अपेक्षतया जटिल है क्योंकि इसमें अनुवादक के लिए केवल दो भाषाओ का ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं अपितु दोनों भाषाओं की संस्कृतियों की भी गहरी समझ होना आवश्यक है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अनुवाद इसी प्रकार के अनुवाद के उदाहरण हैं, जिसमें अनुवादक शब्दों का अनुवाद न कर भावों के आधार पर लक्ष्य भाषा में उसके समतुल्य की तलाश करते हैं। उदाहरण के तौर पर, निम्नलिखित मुहावरे–लोकोक्तियाँ और उनके अनुवाद देखिए :

Empty vessels make much noise.

शब्दानुवाद : *खाली बर्तन ज्यादा आवाज़ करता है।*

भावानुवाद : *थोथा चना बाजे घना।*

To quarrel with Pope while in Rome.

शब्दानुवाद : *रोम में रहकर पोप से झगड़ा।*

भावानुवाद : *पानी में रहकर मगर से बैर।*

उपर्युक्त उदाहरणों में आपने देखा कि अंग्रेजी में दिए गए मुहावरे–लोकोक्ति का हिंदी में शब्दानुवाद किया गया है। अनुवाद की दृष्टि से देखा जाए तो शब्दानुवाद भी ठीक है तथा वह भाव को संप्रेषित करता है। लेकिन, यदि साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो उक्त शब्दानुवाद एक अच्छा अनुवाद नहीं होगा। इस प्रकार की लक्षणापरक भाषा का अनुवाद भी लक्षणात्मक ही होना चाहिए। लक्ष्य भाषा में मूल पाठ के मुहावरे–लोकोक्ति का समतुल्य खोजकर ही अनुवाद किया जा सकता है। यह अनुवाद शाब्दिक दृष्टि से तो दोषपूर्ण होगा, किंतु पाठ की संप्रेषणीयता की दृष्टि से सार्थक होगा। इसी प्रकार के अनुवाद को भावानुवाद कहा जाता है।

2.4.3 छायानुवाद

छायानुवाद में मूल रचना की छाया के आधार पर एक नई रचना का सृजन किया जाता है। अनुवाद शब्द या वाक्य – किसी इकाई से बँधे नहीं होते। अपितु वे मूल रचना का प्रभाव ग्रहण कर उसे अपने देश–काल, स्थिति अथवा रुचि के अनुसार रचे होते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपीयर के नाटक *'मर्चेंट ऑफ वेनिस'* का अनुवाद करते समय इसी तकनीक का अनुसरण किया था तथा पात्रों, स्थानों आदि के नामों का भारतीयकरण कर दिया था। इस दृष्टि से यह छायानुवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ अनुवादक ने परिवेश के आधार पर रचना को रूपांतरित कर दिया।

छायानुवाद पर बात करते समय एक दुविधा उत्पन्न होती है कि यह यदि छायानुवाद है तो रूपांतरण अथवा पुनःसृजन किसे कहा जाए? अनुवाद के इन प्रकारों पर बात करते हुए यह स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी कि इन सब में मूल अंतर क्या है। इसलिए आइए, पहले 'रूपांतरण' की अवधारणा को स्पष्ट कर लिया जाए।

2.4.4 रूपांतरण

रूपांतरण के अंतर्गत स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करते समय उसमें विधागत परिवर्तन किया जाता है। रूपांतरण को अंग्रेजी में 'Adaptation' कहा जाता है। स्पष्ट है कि छायानुवाद में अनुवादक मूल की छाया लेकर स्वतंत्र रचना को आकार देते हैं किंतु विधागत परिवर्तन नहीं किया जाता जबकि रूपांतरण के अंतर्गत यह परिवर्तन विधागत यानी फॉर्म के आधार पर होता है। रूपांतरण के अनेक उदाहरणों से आप भी परिचित होंगे। रूपांतरण के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। प्रसिद्ध उपन्यासों अथवा कहानी पर बनी फिल्में, उपन्यास अथवा कहानी की मंचीय प्रस्तुति अथवा उसका नाटकीकरण। इसी प्रकार, कविता की पंक्तियों पर गीतों का सृजन। वर्तमान विज्ञापन युग में तो कविताओं अथवा गीतों की प्रसिद्ध पंक्तियों को आधार बनाकर विज्ञापनों का भी सृजन हो रहा है। ये सभी रूपांतरण के उदाहरण हैं, जहाँ अनुवादक अनुवाद के सीमित दायरे में न रहकर अधिक सृजनशील हो जाते हैं। शेक्सपीयर के नाटकों पर बनी फिल्में, जेन ऑस्टन, व्लादिमीर नाबोकोव के उपन्यास, लियो तोलस्तॉय, चेखव आदि की कहानियों पर बनी फिल्में रूपांतरण के उदाहरण हैं। पंचतंत्र की कहानियों पर बनी नाट्यमालाएँ, जातक कथाओं, अरेबियन नाइट्स आदि पर बने धारावाहिक भी रूपांतरण के अन्यतम उदाहरण हैं। भारत में भी रूपांतरण की लंबी परंपरा रही है। शरतचंद्र, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी आदि विभिन्न रचनाकारों के साहित्य पर बनी लघु फिल्में, फिल्में इसके प्रमाण हैं। इनके अतिरिक्त, विभिन्न ज्ञानात्मक साहित्य पर बने वृत्तचित्र भी उदाहरणस्वरूप देखे जा सकते हैं। जैसे, पं. जवाहर लाल नेहरू की पुस्तक '*Discovery of India*' पर बना वृत्तचित्र *'भारत एक खोज'*।

2.4.5 अनुसृजन (Transcreation)

सर्जनात्मक साहित्य के अनुवाद के लिए अनुसृजन अथवा पुनःसृजन का प्रयोग किया जाता है। किंतु कविता के अनुवाद के संदर्भ में कहा जाए तो यह अधिक सटीक बैठता

है जहाँ अनुवाद करते समय अनुवादक उसमें इतना डूब जाते हैं कि अनुवाद के पश्चात लगभग एक नई कृति हमारे सामने होती है। इस प्रकार के अनुवाद के लिए अनुवादक का भाषा और संस्कृति से परिचय के अतिरिक्त विधा–विशेष की गहरी समझ या सटीक शब्दों में कहें तो सहृदय होना आवश्यक है। अनुवाद में अनुसृजन संबंधी अवधारणा के भारतीय प्रवर्तक पुरुषोत्तम लाल हैं जिन्होंने कालजयी रचना *'महाभारत'* का अंग्रेजी में अनुवाद किया। काव्य साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में वे महाभारत के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखते हैं कि कोई महाकाव्य अथवा कोई भी कला पवित्र नहीं है। यदि वह मुझ तक अर्थ को संप्रेषित करने में सक्षम नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं, वह मृत समान है। - '*No epic, no work of art is sacred by itself, if it doesn't save meaning for me now, it is nothing. It is dead.*' उनका मानना है कि यदि अनुवादक को आवश्यक लगे तो वे अनुवाद की प्रक्रिया में पाठ में यथासंभव संपादन, परिवर्तन तथा परिवर्धन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अनुवादक वस्तुतः पाठ का अनुसृजन ही करते हैं। – '*The translator must edit, reconcile, and transmute; his job in many ways becomes largely a matter of transcreation.*'

विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध भक्तिकालीन साहित्य अनुसृजन का उपयुक्त उदाहरण है। संस्कृत की कालजयी रचनाओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध संस्करण अनुसृजन के बेहतरीन उदाहरण हैं। वाल्मीकि कृत रामकथा पर अनुसृजित विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रचनाओं को अनुवाद नहीं अपितु मूल की ही श्रेणी में रखकर देखा जाता है। इन विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध रामकथा मूल की नकल या अनुसरण न होकर अपने देश–काल, समाज, परिवेश, संस्कृति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रची गई हैं, जिनका स्रोत तो एक ही है लेकिन निर्माण बिल्कुल भिन्न है। इसी के साथ एक अन्य उदाहरण है उमर खैयाम की रुबाइयों के फिट्ज़ेराल्ड द्वारा किए गए अनुवाद। इन अनुवादों में अनुवादक ने सर्जनात्मक साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में मनमानी छूट ली है जिसके परिणामस्वरूप ये अनुवाद मूल रचना से प्रतीत होते हैं।

2.4.6 पुनर्सृजन (Rewriting)

लेफेवेयर ने अनुसृजन संबंधी चिंतनक्रम में आगे विचार करते हुए अनुवाद को 'पुनर्लेखन' (Translation as Rewriting) भी कहा और उसके चारों ओर फैले वैचारिक तनाव की बात की। आंद्रे लेफेवेयर अपनी पुस्तक *Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Ffame* में *Translation is of course, a rewriting of an original text* (1992, pg. vii) लिखकर अनुवाद को केवल भाषायी व्यापार के दायरे से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करते हैं। वे यह भी मानते हैं कि पुनर्लेखन के रूप में अनुवाद संस्कृति एवं साहित्य को समृद्ध भी करता है – *Rewriting is manipulation, undertaken in the service of power, and in its positive aspect can help in the evolution of a literature and a society. Rewritings can introduce new concepts, new genres, new devices, and the history of translation is the history also of literary innovation, of the shaping power of one culture upon another.* (1992, pg. vii)

आधुनिक भारतीय साहित्य के उद्भव और विकास तथा साहित्य में नई विधाओं के जन्म के माध्यम से पुनःसृजन को समझा जा सकता है। भारतीय साहित्य में उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा आदि विभिन्न विधाओं के उद्भव में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं से हुए प्रचुर अनुवादों को आधार माना जा सकता है। लेकिन पुनर्लेखन का केवल सकारात्मक पक्ष नहीं है। अनुवाद के माध्यम से प्रभुत्वशाली देश, समाज एवं संस्कृतियाँ अन्य समाजों और संस्कृतियों के पूरे विकासक्रम को न केवल प्रभावित करती हैं अपितु अपना प्रभुत्व भी स्थापित करती हैं –*All rewritings, whatever their intention, reflect a certain ideology and a poetics and as such manipulate literature to function in a given society in a given way.* (1992, pg. vii) इस तरह देखा जाए तो

औपनिवेशिक समाजों द्वारा उपनिवेशित समाजों के साहित्य के पुनर्लेखन का उद्देश्य वस्तुतः उस समाज व साहित्य की अपने अनुसार पुनःव्याख्या करना भी है जिसमें उपनिवेशित समाज व संस्कृति को मनमाने तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।

2.4.7 नवलेखन (New Writing)

अनुवाद की सैद्धांतिकी में 'नवलेखन' की अवधारणा की चर्चा सुजित मुखर्जी के यहाँ मिलती है। 'नवलेखन' को 'नवसृजन' भी कहा जाता है। सुजित मुखर्जी, अपनी पुस्तक '*Translation as Discovery*' में 'नवसृजन' की विस्तार से चर्चा करते हैं और इस संदर्भ में भारत के मध्यकाल में लिखी गई रचनाओं की उदाहरणस्वरूप चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अनुवाद की एक लंबी परंपरा रही है। लेकिन इसके साथ ही इसी पुस्तक में सुजित मुखर्जी इस ओर संकेत करते हैं कि अनुवाद की इतनी लंबी भारतीय परंपरा होने के बावजूद अनुवाद सिद्धांत की दृष्टि से भारत का कोई योगदान नहीं दिखाई देता। इसका कारण बताते हुए वे लिखते हैं कि भारतीय बहुभाषिकता में कभी भी भाषा पर एकाधिकार की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई – '*What we don't yet have in India is a theory or theories of translation. This may be because we have been practising translation for so many years – so many centuries, in fact – that we forgot to stop and theorise.* (p.36)

इसलिए हमारे यहाँ मिलने वाली अनुवाद की लंबी परंपरा में अनुवाद के जिस प्रकार की ओर सुजित मुखर्जी संकेत करते हैं वह 'नवलेखन' अर्थात 'New Writing' है। नवलेखन के अनेक उदाहरण विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में पाए जाने वाले साहित्य हैं जिनकी मूल कथा या मूल तत्व संस्कृत की कालजयी रचनाओं से लिए गए हैं और जिन्हें विभिन्न कालखंडों, सामाजिक–धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों, देश–काल आदि में पुनःसृजित अथवा नवसृजित किया गया। रामकथा, श्रीमदभागवद्, महाभारत आदि के विभिन्न भाषाओं में मिलने वाले रूपांतरण नवसृजन के सटीक उदाहरण हैं। तमिल में रची गई कंब रामायणम्, तेलुगु में नन्नय तथा तिक्कन द्वारा पुनर्रचित महाभारत, रंगनाथ रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस उनमें से कुछ हैं।

2.4.8 टीकानुवाद

टीकानुवाद का भारत में लंबा इतिहास है। इसमें किसी ग्रंथ विशेष की उसी या अन्य भाषा में टीका या भाष्य लिखा जाता है। टीकानुवाद करने का प्रमुख उद्देश्य स्रोत भाषा में उपलब्ध पाठ को उसके सरलतम रूप में उसी या किसी अन्य भाषा में रखा जाता है ताकि साधारण पाठक भी पाठ विशेष का मर्म प्राप्त कर सकें। इसे ही 'व्याख्यानुवाद' भी कह सकते हैं। भारत में संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि भाषाओं में बड़ी मात्रा में टीकाएँ लिखी गई हैं। 'गीता' पर विभिन्न भाषाओं में लिखे गए 'भाष्य' भी इसी के उदाहरण हैं।

2.4.9 सारानुवाद

सारानुवाद में पूरे पाठ का अनुवाद न होकर केवल उसके सार का अनुवाद किया जाता है। यह एक जटिल एवं श्रम–साध्य प्रक्रिया है क्योंकि सारानुवाद की आवश्यकता समाचार एजेंसियों, कार्यालयी साहित्य और विधि साहित्य आदि में पड़ती है। विभिन्न सरकारी अथवा गैर–सरकारी दफ्तरों में बनने वाली भारी–भरकम रिपोर्ट को पूरा प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसके सार मात्र का अनुवाद किया जा सकता है। किंतु इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक को बेहद सावधानी बरतनी होती है क्योंकि अनुवाद करते समय उसे यह ध्यान रखना होता है कि पाठ के सार को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करते समय कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए।

2.4.10 आशु अनुवाद

आशु अनुवाद या भाषांतरण से तात्पर्य उस अनुवाद से है जिसमें अनुवादक के पास अनुवाद करने के लिए अधिक समय नहीं होता। इस अनुवाद की आवश्यकता उस स्थिति

में पड़ती है जब दो वक्ता आपस में बात कर रहें हों या करना चाहते हों लेकिन दोनों को एक–दूसरे की भाषा न आती हो। ऐसी स्थिति में दुभाषिये, जिन्हें दोनों भाषाओं का ज्ञान हो, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं।

आशु अनुवादक यानी दुभाषिये की जरूरत तब पड़ती है जब दो देशों के प्रतिनिधि किन्हीं राजनीतिक मुद्दों पर आपस में बात करते हैं। इन्हें अंग्रेजी में *interpretor* कहा जाता है। आशु अनुवाद का आधार मौखिक भाषा होती है।

2.4.11 पुनःअनुवाद

पुनःअनुवाद में स्रोत भाषा के पाठ को पहले लक्ष्य भाषा में अनुवाद करवाकर किसी अन्य अनुवादक से पुनः स्रोत भाषा में अनुवाद करवाया जाता है। हम जानते ही हैं कि स्रोत पाठ और लक्ष्य पाठ कभी भी समान नहीं हो सकते। अनुवाद की प्रक्रिया में कुछ जुड़ता भी है और कुछ छूटता भी है। किंतु अनुवाद करके यदि हम स्रोत पाठ के ज्ञान को प्राप्त कर सकें तो वह अनुवाद सफल माना जाता है। स्रोत पाठ और लक्ष्य पाठ में जो अंतर आ जाते हैं उसकी जाँच के लिए पुनःअनुवाद पद्धति का सहारा लिया जाता है। भावों की व्याख्या, शब्दों की अर्थ–संकल्पना, वाक्य–विन्यास, सांस्कृतिक प्रभाव आदि विभिन्न स्तरों पर ये अंतर देखने को मिलते हैं। पुनःअनुवाद करवाकर भी यदि मूल की आत्मा पर बहुत असर नहीं पड़ता तो उस अनुवाद को सफल अनुवाद माना जाता है।

2.4.12 लिप्यंकन

जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, लिप्यंकन यानी लिपि का अंकन। लिप्यंकन में उच्चारण को मुख्य आधार माना जाता है। लिप्यंकन अंग्रेजी के शब्द 'Transcription' का हिंदी पर्याय है जिसमें उच्चरित ध्वनियों को लिपिबद्ध किया जाता है। टेपरिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए भाषण आदि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिप्यंकन किया जाता है। साक्षात्कार, वक्तव्य, गीत आदि में वक्ता के उच्चारण को आधार मानकर उसे लिपिबद्ध किया जाता है। इसमें स्रोत भाषा के उच्चारण के आधार पर लक्ष्य भाषा के लिपि चिह्न निर्धारित किए जाते हैं। इसके लिए IPA (Interanational Phonetic Alphabet) अथवा किसी अन्य लिपि चिह्न व्यवस्था के आधार पर लिप्यंकन किया जाता है। दो माध्यमों के बीच अंतरण की गतिविधि होने के कारण इसे अनुवाद का एक प्रकार विशेष माना जा सकता है।

2.4.13 लिप्यंतरण

लिप्यंतरण शब्द अंग्रेजी के *transliteration* का हिंदी पर्याय है। लिप्यंतरण में स्रोत भाषा की वर्तनी में प्रयुक्त लिपि–चिह्नों के स्थान पर लक्ष्य भाषा में प्राप्त लिपि–चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं :

सबसे पहले स्रोत भाषा के लिपि चिह्नों को उसी भाषा की स्वनिमिक इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे – < R>=/R/, <Sh>=/Š/.

इसके बाद स्रोत भाषा की स्वनिमिक इकाइयों को लक्ष्य भाषा की स्वनिमिक इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे – /R/ = /र/, /Š/ = /श/

इसके बाद लक्ष्य भाषा की स्वनिमिक इकाइयों का उसी भाषा के लिपिचिह्नों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे – /र/=<र>, /श/=<श>

स्पष्ट है कि लिप्यंतरण में पहले स्रोत भाषा के लेखन रूप से मौखिक में और फिर स्रोत भाषा के मौखिक रूप को लक्ष्य भाषा के मौखिक रूप में परिवर्तित किया जाता है और फिर अंत में उसे लक्ष्य भाषा के लिपि–चिह्नों के अनुरूप ढाला जाता है। लिप्यंतरण, दो लिपियों के बीच संपन्न होने वाली गतिविधि है और अनुवाद कर्म के दौरान इसे व्यवहार

में लाया जाता है, इसलिए 'लिप्यंतरण' को अनुवाद का एक प्रकार–विशेष माना जाता है।

अनुवाद के इन विविध प्रकारों के बारे में जानने के बाद, आइए, अब हम अनुवाद के विविध क्षेत्रों पर विचार करें।

2.5 अनुवाद के विविध क्षेत्र

अनुवाद, आज के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपस्थिति नजर आती है। इस आधार पर अनुवाद के क्षेत्र भी अनेक हैं। लेकिन, उनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, जिनमें से प्रशासनिक साहित्य, बैंकिंग, विधि, मीडिया, सृजनात्मक साहित्य, तुलनात्मक साहित्य, पर्यटन और शिक्षा प्रमुख हैं। आइए, इन पर क्रमशः विस्तार से चर्चा करें।

2.5.1 प्रशासनिक साहित्य और अनुवाद

सबसे पहले यहाँ यह समझा जाना आवश्यक है कि प्रशासन किसे कहते हैं। प्रशासन से तात्पर्य सरकारी कामकाज से है। चूँकि इसका दायरा बेहद विस्तृत है इसलिए यहाँ हम केंद्र और राज्य के कार्यक्षेत्र में आने वाले विभाग, अधीनस्थ विभाग, मंत्रालय, सरकारी बैंक, अर्ध–सरकारी बैंक, संबद्ध कार्यालय, स्वशासी निकाय, आयोग, समितियाँ, सहकारी बैंक तथा इनके अधीन आने वाले अन्य विभाग आते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएँ प्रयोग में लाई जाती हैं :

- संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस–विज्ञप्तियों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं।
- संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज–पत्रों के लिए।
- केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के किसी निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के लिए।

इन सभी संदर्भों में अनुवाद के लिए प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई है।

अनुवाद के इस प्रमुख क्षेत्र में प्रशासनिक साहित्य की भाषा पर विचार करना भी जरूरी है। प्रशासनिक साहित्य की भाषा का अपना एक सौंदर्यशास्त्र है। साहित्य की भाषा से एकदम अलग प्रशासनिक भाषा का केंद्रीय तत्व संप्रेषणीयता है। इसके लिए कुछ विशेषताएँ निर्धारित की गई हैं जिनके अनुसार प्रशासन की भाषा बोधगम्य और सरल–सुव्यवस्थित हो। इसमें अनूदित पाठ की संप्रेषणीयता को केंद्र में रखते हुए एकार्थता को अधिक महत्व दिया गया है।

प्रशासनिक भाषा का एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण तत्व है – निर्वैयक्तिकता। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ प्रयोग होने वाली भाषा का व्यक्ति–विशेष से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ दिए जाने वाले आदेश–निर्देश व्यक्ति द्वारा न दिए जाकर पद द्वारा दिए जाते हैं। यही

कारण है प्रशासनिक भाषा में कर्मवाच्य की प्रधानता रहती है, कर्तृवाच्य की नहीं। उदाहरण के तौर पर, निम्नलिखित वाक्य और उनका अनुवाद देखिए :

Submitted for information	– सूचनार्थ प्रस्तुत
This may please be approved	– कृपया इसका अनुमोदन करें।
Accepted and passed for payment	– स्वीकृति और भुगतान के लिए पास किया गया।
Matter is under consideration	– विषय विचाराधीन है।
Should be given top priority	– सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
Accepted for payment	– भुगतान के लिए स्वीकृत।

प्रशासनिक साहित्य की भाषा औपचारिकता से परिपूर्ण होती है। इसमें अनेकार्थता की कोई संभावना नहीं होती। भाषा सरल एवं बोधगम्य होती है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की अपनी एक तय शब्दावली होती है, जिनका संबंध सीधा प्रशासन तथा सरकारी कार्यालय में प्रचलित कार्य–प्रणाली से होता है। यह आम भाषा से अलग अपने तय अर्थ रखती है जिसमें अर्थ–विचलन की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए अनुवादक को अनुवाद करते समय कुछ खास बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है।

प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत 1971 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अतंर्गत काम कर रहे 'केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो' को सौंपा गया। ब्यूरो द्वारा सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को समय–समय पर अनुवाद की प्रक्रिया और सिद्धांत से अवगत करवाया जाता है।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अनुवाद प्रशिक्षण केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अनुवाद कार्य से संबंधित सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद प्रशिक्षण के लिए त्रैमासिक, इक्कीस दिवसीय, पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण जैसे कई कार्यक्रम चलाता है। इन प्रशिक्षणों की सहायता से विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे अनुवादक, अनुवाद के विभिन्न आयामों से समय–समय पर जागरूक होते रहते हैं तथा अपने अनुवाद कौशल को सँवारते रहते हैं।

2.5.2 बैंकिंग और अनुवाद

यूँ तो पूँजी के लेन–देन को लेकर एक परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था का अपना एक लंबा इतिहास है किंतु भारत को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। इसी के परिणामस्वरूप हम देख सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर पश्चिम का प्रभाव है। आज भी भारतीय बैंकों में मूल लेखन, फॉर्म, प्रचार–सामग्री, दस्तावेज आदि मूलतः अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं। राजभाषा संबंधी सांविधानिक–विधिक प्रावधानों के कारण बैंक भी राजभाषा प्रयोग के दायरे में आ जाते हैं जिसके कारण उनके कार्यों में अनुवाद को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग का संबंध आमजन और उसकी पूँजी से है, इसलिए आमजन की भाषा में बैंकिंग की कार्य–प्रणाली को समझाना और पत्र–व्यवहार भारतीय बैंक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग मूलतः दो स्तरों पर होता है :

- राजभाषा के स्तर पर; और
- जनभाषा के स्तर पर।

द्विभाषिकता की नीति के अनुसार प्रशासन आदि विविध क्षेत्रों के साथ बैंकिंग में व्यवहार में हिंदी में मूल लेखन का चलन नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। राजभाषा के रूप में सभी केंद्रीय कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान बैंकिंग संबंधी तकनीकी और गैर–तकनीकी प्रलेख दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। मूल रूप से अंग्रेजी में लेखन होने के कारण अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द, पदबंध, वाक्य–विन्यास आदि अधिक उपयुक्त और संप्रेषणीय जान पड़ते हैं। ऐसे में अनुवादक के समक्ष चुनौती और बड़ी हो जाती है कि हिंदी, जो प्रशासनिक क्षेत्रों में मात्र अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है, वहाँ अंग्रेजी के सटीक प्रयोगो के समक्ष किस तरह अधिक विश्वसनीय और संप्रेषणीय प्रयोग गढ़े।

2.5.3 विधि साहित्य और अनुवाद

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपने संविधान में शासन–प्रशासन और विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के लिए भाषा योजना की संकल्पना रखी। भाषा योजना के कुल चार चरण होते हैं – चयन, संहिताकरण, विशदीकरण; और अनुपालन। इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य शासन–प्रशासन तथा विधि आदि क्षेत्रों के लिए मानक भाषा और पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना था। आप 'प्रशासनिक और वाणिज्यिक अनुवाद' से संबंधित पाठ्यक्रम के पहले खंड में यह विस्तार से अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माण के दौरान ही यह उपबंध किया गया था कि एक राजभाषा आयोग की स्थापना की जाएगी जो राष्ट्रपति को संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए भाषा के बारे में सिफारिश करेगा। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया जिसके तहत आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि विधि के क्षेत्र में हिंदी में समान रूप से काम करने के लिए दो कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं – (1) विधि शब्दावली का विकास; और (2) समस्त अधिनियमों का हिंदी में पुनः अधिनियमन।

अपनी रिपोर्ट में राजभाषा आयोग ने विधि शब्दावली के निर्माण के साथ हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए केंद्र और राज्यों में हो रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। परिणामस्वरूप तत्कालीन राष्ट्रपति ने 1960 में विधि विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग बनाने का आदेश पारित किया और तदनुसार 1961 में संघ ने राजभाषा (विधायी) आयोग की स्थापना की। आयोग ने यह निर्णय लिया कि मानक विधि शब्दावली की तैयारी को हिंदी में अधिनियमों के संग्रह के पुनः अधिनियमन के कार्य से अलग न किया जाएँ इस प्रकार अधिनियमों का अनुवाद और मानक विधि शब्दावली का निर्माण साथ–साथ चलता रहा।

आयोग ने 1970 में विधि शब्दावली का प्रथम संस्करण तैयार किया जिसमें लगभग 10,000 प्रविष्टियाँ थीं। आगे चलकर राजभाषा (विधायी) आयोग का कार्य विधि मंत्रालय के विधायी विभाग में स्थापित राजभाषा खंड को सौंप दिया गया जिसने 1979 में इस शब्दावली का परिवर्धित संस्करण जारी किया। इसके पश्चात आज तक इसके कुल छः संस्करण आ चुके हैं जिसमें कुल प्रविष्टियों की संख्या बढ़कर लगभग 50,000 हो चुकी है।

इस तरह हमने देखा कि राजभाषा आयोग से प्रारंभ हुआ यह कार्य आज काफी ऊँचाई तक पहुँच चुका है।

2.5.4 मीडिया और अनुवाद

तकनीकी विकास के साथ मीडिया का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया के अंतर्गत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अब अब एक नया माध्यम 'सोशल मीडिया'

भी आकर जुड़ गया है। अब हम अनके खबरों से सोशल मीडिया के माध्यम से परिचित होते हैं। सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक, ट्विटर, वॉट्सएप आदि विभिन्न पोर्टल आते हैं, जो हमें देश–विदेश तथा विभिन्न विषयों की छोटी–बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। विभिन्न देशों एवं समाजों में आज प्रचार–प्रसार के लिए इन माध्यमों को अपनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब हमारे समक्ष मीडिया की एक बिल्कुल नई भाषा आ खड़ी हुई है जो अनुवादकों के समक्ष एक नई चुनौती है।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इसमें भी विविधता देखी जा सकती है। राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, बाजार आदि विभिन्न भाषाओं के नमूने यहाँ उपलब्ध हैं। यह तो तय है कि मीडिया के विस्तृत दायरे को देखकर किसी एक पारिभाषिक शब्दावली या कोश काफी नहीं है।

मीडिया की भाषा का एक विशिष्ट स्वरूप होता है किंतु वह विज्ञान, प्रशासन आदि की भाषा की तरह तकनीकी नहीं होती। इसकी भाषा का अपना एक आस्वाद होता है जिसे ध्यान में रखते हुए अनुवाद किया जाना चाहिए। अनुवादक को यह ध्यान रखना विभिन्न पत्रों की अपनी भाषा होती है, जो उसकी अपनी एक अलग पहचान बनाती है। उनमें मूल लेखन तथा अनुवाद की अपनी एक शैली है जिसका सलीके से पालन किया जाता है। अनुवादक को भी उस शैली विशेष के अनुसार ही अनुवाद करना चाहिए। मीडिया का प्रत्येक माध्यम खबर को अधिक से अधिक संप्रेषणीय बनाने पर केंद्रित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वे वाक्यों को छोटा रखते हैं, जल्दी जल्दी पैरा बदलते हैं, मुख्य समाचार में ध्यान वाक्य संरचना पर न रख संप्रेषणीयता पर रखते हैं जिसके कारण ही मीडिया में अधूरे वाक्यों की भरमार देखी जा सकती है।

मीडिया में काम करने वाले यह मानकर चलते हैं कि विभिन्न विधाओं के लिए भाषा के विभिन्न स्वरूपों की आवश्यकता होती है। खेल समाचार लिखते समय भाषा की बानगी अलग होती है और बाजार भाव से जुड़े समाचार की भाषा उससे बिल्कुल भिन्न होती है। मनोरंजन की भाषा राजनीतिक खबरों की भाषा से अलग होती है। मीडिया के अनुवादक के लिए आवश्यक है कि वे इस भाषायी विविधता को समझें तथा उसके अनुसार शब्दों, मुहावरों और अभिव्यक्तियों का सही चयन करें।

सोशल मीडिया के रूप में मीडिया के इस नए माध्यम की शुरुआत वर्तमान युग की देन है। सोशल मीडिया का प्रयोग अक्सर प्रचार–प्रसार आदि के लिए किया जाता है। विज्ञापन एजेंसियाँ इसे एक जरूरी माध्यम के रूप में देख रही है। आज बाजार से लेकर राजनीति तक अपने विचारों के प्रसार के लिए इन माध्यमों का प्रयोग कर रहे है। इन माध्यमों ने अपनी एक नई भाषा गढ़ी है जिसे समझने की जरूरत है। चूँकि यह अत्यंत नया माध्यम है इसलिए इसके अनुवाद की अभी कोई सैद्धांतिकी तैयार नहीं हो पाई है। ऐसे में अनुवादक की समझ तथा संचार माध्यम की माँग को ध्यान में रखकर इसका अनुवाद किया जा सकता है।

मीडिया के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र विज्ञापन है। प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी जगह विज्ञापनों की माँग है। विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं – (1) सूचना प्रधान विज्ञापन; (2) व्यावसायिक विज्ञापन। 'सूचना प्रधान विज्ञापन' के अंतर्गत सरकारी विज्ञापन (जैसे, सरकारी घोषणाएँ, रोजगार, जागरूकता, स्वच्छता आदि संबंधी विज्ञापन आदि) आते हैं। 'व्यावसायिक विज्ञापन' ऐसे विज्ञापनों को कहते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न उत्पादों का प्रचार–प्रसार किया जाता है। इन दोनों ही तरह के विज्ञापनों की अपनी विशेष भाषा है। जहाँ सूचना प्रधान विज्ञापन की भाषा एकात्मक तथा अभिधात्मक होती है, वहीं व्यावसायिक विज्ञापनों की भाषाओं सर्जनात्मकता, चुटीलापन, आकर्षण आदि गुण होते हैं। विज्ञापनों के अनुवाद में अनुवादकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दोनों ही प्रकार

की भाषाओं से परिचित हों तथा भाग के अनुसार विज्ञापनों को उसी प्रभावोत्पादकता के साथ अनुवाद कर सकें।

2.5.5 सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद

सृजनात्मक साहित्य का दायरा काफी विस्तृत है इसमें उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, गीत, गीतिनाटक आदि सभी आ जाते हैं। इन सभी के अनुवाद के लिए अनुवादक को कुछ विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है। यहाँ हम सभी विधाओं की चर्चा न करके मुख्यतः काव्यानुवाद कथा साहित्य का अनुवाद तथा नाट्यानुवाद की चर्चा करेंगे तथा इसके साथ ही सृजनात्मक साहित्य के अभिन्न अंग मुहावरे–लोकोक्तियों के अनुवाद और उनमें आने वाली समस्याओं पर बात करेंगे।

काव्यानुवाद : कविता का अनुवाद वास्तव में सबसे जटिल कार्य है। किसी भी अन्य विधा के अनुवाद की तुलना में कविता का अनुवाद अधिक चुनौतीपूर्ण है। चूँकि कविता के अनुवाद में अर्थ, आशय, शब्द योजना छंद, लय, संस्कृति, काव्य सौंदर्य आदि सबका अनुवाद किया जाना अपेक्षित होता है इसलिए यह लगभग असंभव प्रतीत होता है। कविता का अनुवाद वास्तव में लक्ष्य भाषा में उसकी 'पुनर्रचना' ही होती है। कविता के अनुवाद के लिए अनुवादक को कविता की गहरी समझ होनी चाहिए। कविता का अनुवाद यदि कोई कवि ही करे तो बेहतर होगा क्योंकि इसके लिए मूल कविता और उसके भाव को आत्मसात् करके उसे पुनर्जीवन दिया जाता हैं।

कविता के अनुवादक का सहृदय होना आवश्यक है। यहाँ अनुवाद केवल भाषा और भाषा में निहित भावों का ही नहीं अपितु संकेतों–बिंबों–प्रतीकों के साथ पंक्तियों के बीच की चुप्पी का भी होता है। साहित्य और उसमें भी कविता के गूढ़ पाठक होना इसकी योग्यता है।

कथा साहित्य का अनुवाद : कथा साहित्य का अनुवाद भी एक जटिल कार्य है। सर्जनात्मक साहित्य की प्रमुख विधाएँ – कहानी तथा उपन्यास, दोनों ही कथा साहित्य के अंतर्गत आती हैं। सर्जनात्मक साहित्य की भाषा अपने आपमें बेहद लक्षणात्मक होती है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध यह भाषा अपने समाज से अनुप्राणित होती है और उसे प्राण ातत्व प्रदान भी करती है। अपने समाज में गहरी रची–बसे होने के कारण कथा साहित्य में मुहावरे, लोकोक्तियाँ भाषा की क्षेत्रीयता आदि अनेक ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी अनुवादक के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। कथा साहित्य में कविता के अन्य गुणों के साथ एक कथातत्व भी होता है जो समाज विशेष की अंतरंग छवि को प्रस्तुत करता है। फणीश्वरनाथ रेणु का *मैला आँचल*, श्रीलाल शुक्ल का *राग दरबारी*, राही मासूम रज़ा का *आधा गाँव*, यशपाल का *झूठा सच*, भीष्म साहनी का *तमस*, कृष्णा सोबती का *मित्रो मरजानी* तथा *ज़िंदगीनामा*, कृष्ण बलदेव वैद का *उसका बचपन*, मैत्रेयी पुष्पा का *चाक*, राकेश कुमार सिंह का *पठार पर कोहरा* – ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इस बात का प्रमाण हैं कि कथा साहित्य में रचनाकार न केवल विषय की गहराई में उतरते हैं अपितु उनका अपना परिवेश, भाषा, संस्कृति तथा समाज भी रचना में परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक के सामने भाषा से भी बड़ी चुनौती लेखक अथवा रचना का परिवेश होता है जिसका अनुवाद एक बेहद जटिल कार्य हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्जनात्मक साहित्य के अनुवादक के लिए न केवल भाषा अपितु भाषा की संस्कृति और प्रवेश की समझ होना भी अनिवार्य है।

नाट्यानुवाद : साहित्य की अन्य विधाओं से अलग नाटक दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य होने के कारण यह साहित्य की अन्य विधाओं से कुछ स्तरों पर अलग खड़ा हो जाता है। नाट्य साहित्य की विशेषता है – उसका प्रस्तुतीकरण तथा उसके संवाद। यही दो बिंदु

उसे अधिक जीवंत बनाते हैं इसलिए नाटक रचते समय नाटककार, उसका मंचन करते समय निर्देशक तथा अनुवाद करते समय अनुवादक को विशेष सतर्कता बरतनी होती है। नाट्यानुवादक को दोनों भाषाओं के ज्ञान के साथ, साहित्यिक रुचि, कथ्य की समझ तथा रंगमंचीय विशिष्टताओं का भी ज्ञान होना चाहिए। उसे स्रोत भाषा की नाट्य परंपरा के साथ–साथ लक्ष्य भाषा की रंगमंचीय परंपरा एवं विशेषताओं का भी ज्ञान आवश्यक है।

सृजनात्मक साहित्य की अन्य विधाओं में कथ्य के साथ उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक उसी प्रकार नाटक की अभिव्यंजना पद्धति के बारे में कहा जा सकता है। किंतु नाट्यानुवाद के साथ एक अन्य तत्व जुड़ जाता है और वह है – इसकी दृश्यता। कहानी आदि अन्य साहित्यिक रचना को थोड़ा पढ़कर बीच में छोड़ा जा सकता है लेकिन नाटक का मंचन एक साथ होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसका अनुवाद करते समय अनुवादक को इसकी प्रस्तुति तथा संवाद शैली के साथ न्याय करना होगा ताकि दर्शक अंत तक उससे जुड़े रह सकें।

मुहावरों, लोकोक्तियों का अनुवाद : मुहावरे और लोकोक्तियों के निर्माण के पीछे संस्कृति, समाज तथा मनुष्य के विभिन्न अनुभव रहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों की भाषा सीधी सपाट न होकर लक्षणा तथा व्यंजना शब्द–शक्ति से समृद्ध होती है। इसलिए इनके अनुवाद में भी अनुवादक को ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। मुहावरे, लोकोक्तियों तथा कहावतों आदि का प्रयोग आम बोलचाल तथा सर्जनात्मक साहित्य में अधिक होता है। कोई भी समाज अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए इनका सहारा लेता है। लोकोक्ति का तो अर्थ ही है – लोक की उक्ति। अर्थात सामान्य लोक द्वारा प्रयोग की गई उक्ति। इसलिए इनका संदर्भ बेहद व्यापक होता है। इनका अनुवाद करने के लिए अनुवादक को बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। इसके लिए अनुवादक का स्रोत और लक्ष्य भाषा का ज्ञान ही आवश्यक नहीं अपितु इसके साथ उस भाषा और संस्कृति के विकास की गहरी समझ का होना भी जरूरी है। मुहावरे–लोकोक्तियों के अनुवाद के कुछ उदाहरण देखिए :

• खुली छूट देना	To give blank cheque.
• एक पंथ दो काज	Killing two birds with one stone.
• पानी में रहकर मगर से बैर	To quarrel with Pope while in Rome.
• ऊँट के मुँह में जीरा	A drop in the ocean.

यहाँ अनुवादक ने अनुवाद करते समय अपितु उसके निकट समतुल्यों को लक्ष्य भाषा से खोजा है। मुहावरे–लोकोक्ति के अनुवाद में कई बार ऐसी समस्या भी आती है जब अनुवादक को लक्ष्य भाषा में उसका समतुल्य नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि वे भावानुवाद करके मूल अर्थ तक पाठक को पहुँचाए।

2.5.6 तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद

'तुलनात्मक साहित्य' एक स्वतंत्र अनुशासन है। इसके अंतर्गत एक से अधिक भाषाओं में रचित साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। चूँकि तुलनात्मक साहित्य के मूल में ही दो भाषाओं में लिखित साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन है, इसलिए अनुवाद इसका अनिवार्य अंग है। इस अध्ययन के अंतर्गत दो भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनके बीच समानता और असमानता के अनेक बिंदुओं (जैसे, विधा, विषय–वस्तु, प्रभाव, सामाजिकता, परंपरा, कालखंड आदि) की तुलना की जाती है। विश्व–भर के

साहित्य के इस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं जिससे राष्ट्र विशेष अथवा समाज विशेष में लिखित साहित्य के विभिन्न कारणों तथा उन पर पड़े प्रभाव आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जैसे – प्रेमचंद और गोर्की, रोमांटिसिज्म तथा छायावाद की तुलना, न्यू वर्स तथा नई कविता की तुलना आदि।

2.5.7 पर्यटन और अनुवाद

भूमंडलीकृत समय में पर्यटन एक उद्योग बनकर उभरा है। विश्व के अधिकांश देश राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए सैलानियों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। अमेरिकी तथा यूरोप के विभिन्न देश – फ्रांस, इटली आदि – पर्यटन उद्योग में काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भारत की बात की जाए तो यहाँ जैसे बहुरंगी एवं बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में भी पर्यटन की अनेक संभावनाएँ हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित करने के काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसे में, विश्व के सभी देशों एवं संस्कृतियों को जानने की रुचि पैदा की है।

अनुवाद की दृष्टि से पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। पर्यटन में अनुवाद के दोनों ही रूपों – लिखित तथा मौखिक – का महत्व है। लिखित अनुवाद जहाँ पर्यटन संबंधी विभिन्न जानकारियाँ, विभिन्न संस्कृतियों के इतिहास, भूगोल, धर्म, दर्शन आदि संबंधी जानकारियों के अनुवाद के लिए आवश्यक है, वहीं टूरिस्ट गाइड, होटल, पर्यटन स्थलों आदि के संदर्भ में मौखिक अनुवाद अथवा आशु अनुवाद की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही, विभिन्न उद्देश्यों से की गई यात्राओं में पर्यटनों को महत्वपूर्ण यात्राओं, मेलों, संगीत समारोहों, सम्मेलनों तथा बैठकों आदि में भी आशु अनुवाद के माध्यम से सूचनाएँ प्रदान की जाती है। अपनी भाषा में जानकारी तथा सूचनाएँ उपलब्ध होने से न केवल हम अधिक सहज महसूस करते हैं, अपितु पर्यटन तथा स्थान विशेष के प्रति अधिक रुचि भी उत्पन्न होती है। इन भाषाओं में व्यवहार के लिए अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही, हमारी पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञान को हमारी परिचित भाषा में उपलब्ध करवाने में भी अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है।

2.5.8 शिक्षा और अनुवाद

मानव जीवन के विकास में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है, जिसकी सहायता से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। इसके साथ ही, शिक्षा मनुष्य को ज्ञान संपन्न, व्यवहार कुशल तथा जीवकोपार्जन योग्य बनाती है। शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा मनुष्य शिक्षित होने के लिए ज्ञान, विभिन्न भाषाओं और समाजों में बिखरा पड़ा है। अनुवाद वह माध्यम है, जिसकी सहायता से विश्व–भर का ज्ञान हमें हमारी परिचित भाषाओं में उपलब्ध हो पाता है। ज्ञान–विज्ञान का साहित्य, विश्व साहित्य, सूचना–प्रौद्योगिकी से संबंधित साहित्य आदि को समेटकर हमारी भाषाओं में उपलब्ध करवाने का महती दायित्व अनुवाद पर है। बच्चों के शिक्षा के प्रथम सोपान पर ही उसे मातृभाषा में शिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद उन्हें दूसरी भाषा में शिक्षित किया जाता है। भारत के अधिकांश विद्यालयों में शिक्षार्थियों को राजभाषा में शिक्षित किया जाता है तथा साथ ही अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का भी प्रावधान है।

2.6 सारांश

प्रस्तुत इकाई में हमने विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए अनुवाद के वर्गीकरण के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और उसके पश्चात उन सब विद्वानों द्वारा सुझाए गए अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के आधार पर अनुवाद के प्रमुख प्रकारों की चर्चा की। इन

पर चर्चा करते हुए प्रशासनिक साहित्य, बैंकिंग, विधि, मीडिया, सृजनात्मक साहित्य, तुलनात्मक साहित्य, पर्यटन और शिक्षा आदि अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों में अनुवाद पर विचार व्यक्त किया गया है। इकाई में अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग, उपयोगिता और महत्व की भी विस्तार से स्पष्ट किया गया है। वस्तुतः अनुवाद करते समय पाठ और अन्य स्थितियों (जैसे, उसकी उपयोगिता आदि) को ध्यान में रखकर अनुवादक या अनुवाद एजेंसियाँ पाठ का अनुवाद करवाती हैं। तभी यह तय हो पाता है कि प्रस्तुत पाठ का अनुवाद करते समय किन–किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत इकाई में इन महत्वपूर्ण बातों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत इकाई को पढकर आप निश्चय ही न केवल अनुवाद के विभिन्न प्रकारों और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपयोगिता को समझ गए होंगे, अपितु आपको यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने किन–किन स्थितियों में अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों–पद्धतियों का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। इस इकाई में यह प्रयास किया गया है कि आपको अनुवाद के कुछ बहुचर्चित प्रकारों के अतिरिक्त उन अन्य प्रकारों से भी परिचित करवाया जाए जिनकी चर्चा विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने समय–समय पर की है। आपने यह भी महसूस किया होगा कि इन विभिन्न चिंतकों ने इन अनुवाद तकनीकों के लिए अलग–अलग शब्दों का प्रयोग किया है जिनका व्यावहारिक रूप से प्रयोग लंबे समय से होता रहा है।

2.7 अभ्यास के लिए प्रश्न

1. अनुवाद के विभिन्न प्रकार कौन–कौन से हैं? विस्तार से समझाइए।
2. विभिन्न पाठों के अनुवाद में अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की आवश्यकता होती है।' – इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए।
3. क्या रूपांतरण और छायानुवाद एक ही हैं? यदि नहीं तो क्यों? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
4. अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद से क्या अभिप्राय है? सोदाहरण चर्चा कीजिए।
5. भावानुवाद से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित समझाइए।
6. प्रशासन के क्षेत्र में अनुवाद की स्थिति और आवश्यकता का विवेचन कीजिए।
7. सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद पर एक निबंध लिखिए।

2.8 उपयोगी पुस्तकें

- श्रीवास्तव रवींद्रनाथ एवं गोस्वामी, कृष्ण कुमार (संपा): अनुवाद सिद्धांत और समस्याएँ: आलेख प्रकाशन, दिल्ली।
- तिवारी, डॉ. भोलानाथ, अनुवाद विज्ञान, शब्दकार प्रकाशन, दिल्ली।
- भाटिया, डॉ. कैलाश चंद्र, अनुवाद कला : सिद्धांत और प्रयोग, तक्षषिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
- अय्यर, एन.ई. विश्वनाथ, अनुवाद कला, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
- डॉ. नगेंद्र (संपा.), अनुवाद विज्ञान : सिद्धांत एवं अनुप्रयोग, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

- तिवारी, डॉ. भोलानाथ, अनुवाद विज्ञान : सिद्धांत एवं प्रविधि, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली।
- गोस्वामी, डॉ. शिवाकांत, प्रायोगिक अनुवाद विज्ञान, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
- Mukherjee, Sujit. Translation as Discovery. And Other Essays on Indian Literature in English Translation. New Delhi: Allied Publishers, 1981.
- https:èèwww.amu.ac.inèempèstudymè99992902.pdf
- https:èètranslatorthoughts.comè2016è05ètranspositionè

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY